न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2025/117 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक– 07.10.2025

अनवान

1. रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. सोहन सिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
2. नरेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
3. मंजु कुमारी पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
4. शंकरीबाई पत्नि शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, देलवाडा।

.... प्रतिवादीगण

वाद– घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अंतर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सीम की भागल, पटवार हल्का सेमल, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि स्थित है जो अंकित चौसला आधार संवत् 2076 से 2079 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी निम्न कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

परिशिष्ट अ खाता संख्या नया 37 पुराना 40 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 340 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 101/5760 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
परिशिष्ट ब खाता संख्या नया 42 पुराना 45 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 331 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 101/5760 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
परिशिष्ट स खाता संख्या नया 54 पुराना 57 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 348 रकबा 2.1372 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.1372 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/48 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट द खाता संख्या नया 56 पुराना 60 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 513, 514,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526 कुल किता 13 कुल रकबा 1.3025 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी का नाम 1/64 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

परिशिष्ट य खाता संख्या नया 81 पुराना 77 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 568,569,570,572,573 कुल किता 05 कुल रकबा 4.8182 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/256 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
परिशिष्ट र खाता संख्या नया 89 पुराना 85 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 3598/598, 461,571 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1137 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट ल खाता संख्या नया 90 पुराना 86 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 365,366,379,380,397,398,418,441,443,450,451,468,471,564,616,617,618 कुल किता 17 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट व खाता संख्या नया 91 पुराना 87 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 464 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट श खाता संख्या नया 92 पुराना 88 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,620 कुल किता 14 कुल रकबा 1.7956 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट ष खाता संख्या नया 93 पुराना 89 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 614 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6197 हैक्टेयर
उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी रामसिंह पिता वरदा के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

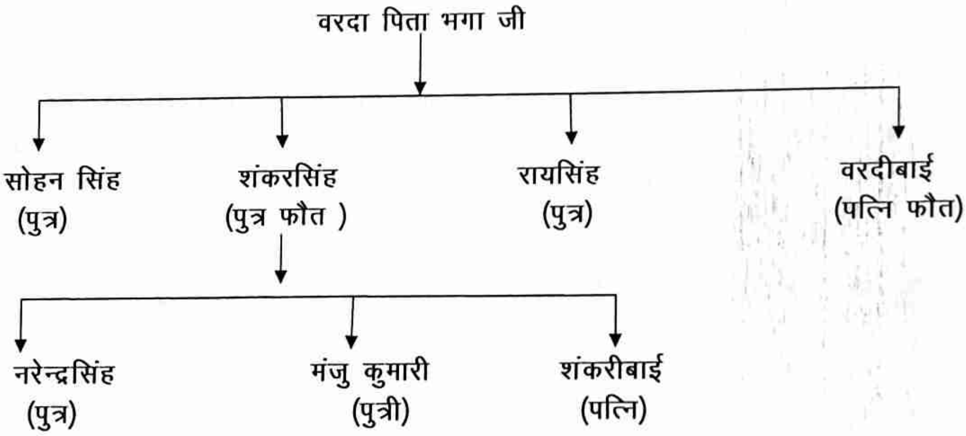

उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियां पूर्व में खातेदार वरदा पिता भगा के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, एवं प्रतिवादी संख्या 02,03 एवं 04 के पूर्वाधिकारी शंकरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई परन्तु राजस्व कर्मचारियों को विरासत से नामान्तरण खुलवाने हेतु रायसिंह बताया था परन्तु भूलवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा रायसिंह के बजाय रामसिंह अंकित कर दिया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजों में रायसिंह नाम दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम संपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर रामसिंह के बजाय रायसिंह अंकित कराना चाहता है तथा इसी आशय की घोषणा करा इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत दर्ज है तथा वाद में वर्णित परिशिष्ट ब में वादी का नाम रामसिंह पुत्र वरदा जाति चदाणा सा उनवास अंकित है परिशिष्ट स में रामसिंह

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

पुत्र वरदा जाति राजपूत सा खरवडों खातेदार अंकित है तथा परिशिष्ट द में रामसिंह पुत्र वरदा जाति खरवड परिशिष्ट य में रामसिंह पुत्र वरदीसिंह जाति राजपूत सा. खरवडों अंकित है तथा सभी परिशिष्टों में रामसिंह पिता वरदा जाति राजपूत अंकित है जबकि वादी का वास्तविक नाम रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत है तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भी रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित है तथा उक्त दोनों नामों को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो तथा दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग नाम नहीं हो इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड में भी अपना सही नाम जो अन्य दस्तावेज में दर्ज है उक्त नाम को ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है जो सही नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत दर्ज करवाना चाहता है इसी आशय की इन्द्राज दुरूस्ती कराने का भी अधिकारी है तथा उक्त नाम शुद्वी करने पर अन्य खातेदारान् के हक अधिकारों पर भी कोई विपरित प्रभाव पडने वाला नहीं है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ट अ,ब,स,द,य,र,ल,व,श,ष में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत एवं परिशिष्ट ब,स,द,य में लिपिकीय त्रुटि से जाति क्रमशः चदाणा, खरवडों खातेदार, खरवड एवं राजपूत खरवडों खातेदार दर्ज है इसलिए वादी वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्टों में अपने नाम एवं गलत जाति के बजाय सही नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित करवाना चाहता है तथा राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार घोषित कराने का अधिकारी है तथा घोषित होने के बाद राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 04.03.2025 को उत्पन्न हुआ जब वादी राजस्व ग्राम सेमल में फार्मर रजिस्ट्री करवाने हेतु कैम्प में गया तो पता चला की वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत होने से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है तब पटवारी हल्का द्वारा कहा की आपको सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर अपने नाम को सही करवाना होगा तत्पश्चात् ही आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो सकती है इसलिए वाद कारण आज भी जारी है।

अतः प्रार्थना है किः-

वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिक्री फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ट अ,ब,स,द,य,र,ल,व,श,ष में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत के बजाय अपना सही नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित करा घोषित फरमाया जावें तथा तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3 बावजूद सुचना अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं प्रकरण में इनके विरूद्व कार्यवाही एक-तरफा करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा पेश कर निवेदन किया किः-

1. वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात् वरदा पिता भगा जी के वैधानिक उत्तराधिकारी है।
2. वादी रायसिंह मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का सगा भाई है तथा हम प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के रिश्ते में सगे काकोसा लगते है तथा प्रतिवादी संख्या 04 के देवर लगते है।
3. वरदा पिता भगा जी के रामसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा भुलवश रायसिंह का नाम रामसिंह अंकित कर दिया जबकि वास्तविक नाम रायसिंह है।
4. हमारे परिवार में रामसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा रामसिंह को ही रायसिंह के नाम से जाना जाता है तथा सभी दस्तावेजों में भी रायसिंह का नाम ही दर्ज है।
5. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
6. आप न्यायालय द्वारा वादी रायसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद अपने नाम की शुद्वी अर्थात् रामसिंह के बजाय रायसिंह किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी हेतु गवाह रायसिंह स्वंय उपस्थित होकर शपथ–पत्र Pw-1 पेश किया गया। शपथ–पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ओर गवाह पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस सुनी गई।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों मय प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श–1 से लगायत् प्रदर्श–10, प्रस्तुत नामान्तकरण पंजिका प्रदर्श–11, प्रस्तुत पुरानी जमाबंदी प्रदर्श–12, कार्यालय ग्राम पंचायत सेमल द्वारा दिनांक 25.03.2025 को जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–13, प्रार्थी का आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श–14 ए, प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श–15ए, प्रार्थी का निर्वाचन पहचान पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–16ए समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि रामसिंह अथवा रायसिंह एक ही व्यक्ति है। राजस्व कमर्चारियों की भूलवश वक्त नामान्तकरण रायसिंह का नाम रामसिंह अंकित कर दिया गया है जबकि रामसिंह का वास्तविक नाम रायसिंह है एवं रामसिंह नाम का वरदा उर्फ वरदीसिंह का कोई दूसरा पुत्र नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, गवाहों एवं उनके बयानों के अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: आदेश :–

परिणामस्वरूपः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सीम की भागल, पटवार हल्का सेमल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नेडच, तहसील देलवाडा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 37 पुराना 40 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 42 पुराना 45 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 54 पुराना 57 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 2.1372 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 56 पुराना 60 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 13 कुल रकबा 1.3025 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 81 पुराना 77 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 05 कुल रकबा 4.8182 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 89 पुराना 85 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 03 कुल रकबा 0.1137 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 90 पुराना 86 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 17 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 91 पुराना 87 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 92 पुराना 88 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 14 कुल रकबा 1.7956 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 93 पुराना 89 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.6197 हैक्टेयर भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह घोषित करने के आदेश दिए जाते है रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर/नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया गया।

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(**Civil Procedure Code Appendix D**)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्याः– 2025/117 राजस्व वाद

अनवान

1. रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. सोहन सिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
2. नरेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
3. मंजु कुमारी पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
4. शंकरीबाई पत्नि शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, देलवाडा।

.... प्रतिवादीगण

वाद– घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादी मय अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है किः–

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सीम की भागल, पटवार हल्का सेमल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नेडच, तहसील देलवाडा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 37 पुराना 40 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 42 पुराना 45 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 54 पुराना 57 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 2.1372 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 56 पुराना 60 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 13 कुल रकबा 1.3025 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 81 पुराना 77 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 05 कुल रकबा 4.8182 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 89 पुराना 85 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 03 कुल रकबा 0.1137 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 90 पुराना 86 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 17 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 91 पुराना 87 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 92 पुराना 88 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 14 कुल रकबा 1.7956 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 93 पुराना 89 में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.6197 हैक्टेयर भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह घोषित करने के आदेश दिए जाते है रामसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जाति राजपूत को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

नीज.....–...... मुबलिज –.....–...... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह –..
...–....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द